

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला. पाली) राज0

पीठारणीन अधिकारी : श्री घनश्याम शर्मा, आर0ए0एस0

राजस्व वाद संख्या : 41/2014

वादी :-

बनाम

प्रतिवादीगण :-

श्री सीमेन्ट लि0 (रास प्रोजेक्ट)
जरिए महावीर चौपड़ा महाप्रबंधक
(कार्गिक व प्रशासन) पुत्र
जवाहरलाल चौपड़ा आयु-60 वर्ष
निवास हाल-महाप्रबंधक श्रीसीमेन्ट लि0
(रास प्रोजेक्ट) मौजा-बांगड नगर
अन्धेरी देवरी, तह.-गरूदा जिला-अजमेर

1. नू पुत्र सुबान
2. सुल्तान पुत्र करणा
जातियान-मेहरात,
निवासीगण-भीवगढ़ (रास)
तहसील-जैतारण (जिला-पाली)
3. तहसीलदार, जैतारण
तहसील-जैतारण (जिला-पाली)

राजस्व वाद बाबत् तकासमा आराजी एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53 एवं

188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

तारीख रजु:20.02.2014




1. श्री चावण्डदान बारहठ, अधिवक्ता, वादी।

--: निर्णय :-

दिनांक:- 03/07/2015

वकील गय वादी ने एक राजस्व वाद बाबत् तकासमा आराजी एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, विरुद्ध प्रतिवादी इस आशय का प्रस्तुत किया है कि श्री सीमेन्ट लि0 ब्यावर का एक सीमेन्ट प्लान्ट बांगड सीमेन्ट के नाम सरहद मौजा-रास, तहसील-जैतारण में स्थापित, कार्यरत व उत्पादनरत है। उक्त श्री सीमेन्ट लि0 रास प्रोजेक्ट एक कम्पनी अधिनियम 1956 के तहत एक पब्लिक लि0 कम्पनी के रूप में पंजीबद्ध है। इस कम्पनी के सभी प्रकार के कार्गिक व प्रशासनिक कार्यों के लिए बतौर महाप्रबंधक महावीर चौपड़ा नियुक्त व कार्यरत है। कम्पनी द्वारा कृषि भूमि के लिए तकासमा व स्थाई निषेधाज्ञा का यह वाद श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु अधिकृत है व वाद पेश करने के कम्पनी का अधिकार पत्र वाद के साथ पेश किया है, जिसे वाद पत्र का एक भाग माना जावे। सरहद मौजा- भीवगढ़, पटवार हल्का-रास-द्वितीय, तहसील-जैतारण में स्थित खसरा नम्बर 2123/1 रकबा 4-10 बीघा किरम सेवज अव्वल की आई हुई है। जिसमें वादी कम्पनी 1/3 हिस्से की भूमि पर रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार है व प्रतिवादी संख्या 1 से 2 उक्त भूमि के रिकॉर्डेड सह खातेदार काश्तकार है। वादी कम्पनी एवं प्रतिवादीगण के मध्य मौके पर भूमि अलग-अलग बंटी हुई है व हिस्सानुसार सभी का कब्जा व काश्त है व वादी खसरा नम्बर 2123/1 रकबा 4-10 बीघा किरम सेवज अव्वल भूमि में 1/3 हिस्से की भूमि यानि 1 बीघा 10 बिस्वा भूमि मौके पर बंटी हुई है व वादी का अपने हिस्से पर रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार के काबिज है। मगर वादी व प्रतिवादीगण की सम्पूर्ण भूमि में एक खाते के रूप में शामिलती दर्ज है व नक्शा ट्रेस में भी सम्पूर्ण भूमि एक जोत दर्शाई गई है। मौके के कब्जे व काश्त अनुसार अलग-अलग तरगीम की हुई नहीं है तथा विवादित आराजी को वाद में आगे विवादित भूमि के नाम से निर्दिष्ट किया जायेगा। सम्वत् 2068 से 2071 की जमाबन्दी खतौनी व नक्शा ट्रेस की प्रमाणित प्रति की प्रति वाद के साथ पेश की है, जिसे वाद का एक भाग माना जावे। वादी कम्पनी की वादग्रस्त कृषि भूमि खसरा नम्बर 2123/1 रकबा 4-10 बीघा किरम सेवज अव्वल भूमि में 1/3 हिस्से की भूमि यानि


राजस्व अधिकारी
जैतारण (वादी)

रकबा 1 बीघा 10 बिरवा भूमि मौके पर बंटी हुई हैं। वादी का अलग से कब्जा व काशत हैं व वादी ने प्रतिवादीगण को मौके के कब्जे व काशत व हिस्से व खातेदारी अनुसार भूमि का बाई मिट्स एण्ड वाउण्डस के तकासमा करवाकर खाते अलग दर्ज करवाने व हिस्से अनुसार नक्शा ट्रेस में तरमीम रखने का तकासमा करवाने का कला-मगर प्रतिवादीगण की नियत सही नहीं होने से उन्होंने बंटवाड़ा करवाने से दिनांक 12/01/2014 को मना कर दिया। जबकि प्रतिवादीगण को ऐसा करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। वादी अपनी भूमि का बाई मिट्स एण्ड वाउण्डस के तकासमा करवाने का अधिकारी हैं। इसलिए दावा तकासमा आराजी खिलाफ प्रतिवादीगण के पेश किया है। बाद तकासमा आराजी वादी अपनी खातेदारी कब्जे काशत व हिस्से की वादग्रस्त भूमि का उपयोग / उपभोग बतौर खातेदार काशतकार के करने का अधिकारी हैं व प्रतिवादी को वादी के हक हिस्से व कब्जे काशत खातेदारी की भूमि में किसी प्रकार की दखलबन्दाजी, बाधा पैदा करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। यदि प्रतिवादी द्वारा ऐसा किया गया तो वादी को असीम हानि होगी, जिसकी क्षतिपूर्ति किसी कदर सम्भव नहीं है। वादी को अपूरणीय क्षति होगी। प्रतिवादी द्वारा ऐसा किया गया तो वादी को बार-बार दिवानी व फौजदारी मुकदमें करने पड़ेगें। जिससे मल्टीप्लीसिटी ऑफ प्रोसिडिंग्स होगी। इसलिए वादी प्रतिवादी के विरुद्ध स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी हैं। इसलिए दावा स्थाई निषेधाज्ञा खिलाफ प्रतिवादीगण के पेश किया है। प्रतिवादी संख्या 3 तहसीलदार, जैतारण वादग्रस्त भूमि के लैण्ड होल्डर हैं, जो राज्य सरकार के प्रतिनिधि हैं व तकासमा आराजी के वाद में आवश्यक पक्षकार होने के कारण उन्हें इस वाद में पक्षकार बनाया गया है। उनके विरुद्ध कोई रिलीफ नहीं चाही गई है। प्रतिवादीगण को वादी कम्पनी व्यक्तिगत रूप से नहीं जानती हैं। इसलिए प्रतिवादीगण के नावालिंग या फौत होने की दिशा में वादी कम्पनी के अधिकारों को सुरक्षित रखते हुए वाद की कार्यवाही में प्रार्थना पत्र के जरिए संशोधन करने का अधिकार रहेगा। विनायदावा दिनांक 12/01/2014 को वादी द्वारा प्रतिवादीगण को वादी के हिस्से की भूमि का बाई मिट्स एण्ड वाउण्डस का कहने व प्रतिवादीगण द्वारा ऐसा करने से मना करने पर व वादी की उनके हिस्से की भूमि से वेदग्रल करने की एलानिया धमकी देने पर बमुकाम-भीवगढ़ (रास) तहसील-जैतारण में पैदा हुआ, जो अन्दर म्याद हक अख्त्यार समायत अदालत वाला के हैं। इस प्रकार वकील मय वादी ने माफिक दावा वाद डिक्री किया जाकर उक्त विवादित भूमि में वादी की भूमि का पक्षकारानों में बंटवाड़ा बाई मिट्स एण्ड वाउण्डस किये जाने की ईशतदुआ की है। इस पर राजस्व वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण जरिए सम्मनस वास्ते जबाबदावा तलब किये गये। प्रतिवादीगण संख्या 3 तथा 1 व 2 को बावजूद सूचना / तामिली बार-बार आवाजें दिलाने पर भी अनुपस्थित रहने से इनके विरुद्ध क्रमशः दिनांक 26/05/2014 तथा 24/11/2014 को एक पक्षीय कार्यवाही की गई। शहादत वादी पी0डब्ल्यू0-1 महावीर चौपड़ा का तस्दीक सुदा शपथ-पत्र दिनांक 26/03/2015 को प्रस्तुत किया। मुख्य परीक्षण पर दस्तावेजात Exp-1 जमाबन्दी सम्वत् 2068 से 2071 एवं नक्शा ट्रेस Exp-2 प्रदर्शित करवाया गया। अन्य शहादत वादी पेश करना नहीं चाहने से बन्द की गई।



बहस वकील वादी सुनी गई। बहस के दौरान अधिवक्ता वादी ने व्यक्त किया कि माफिक राजस्व रेकॉर्ड उक्त विवादित भूमि में वादी अपने हिस्से का खातेदार का पक्षकार होना बखूबी प्रमाणित होने से प्राथमिक डिक्री जारी किये जाने एवं बाई मिट्स एण्ड वाउण्डस वादी की भूमि का पक्षकारानों में बंटवाड़ा करवाने का अधिकारी होने से माफिक दावा बंटवाड़ा किये जाने की ईशतदुआ की है।

श्री
राजस्व (वादी)

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रस्तुत वाद-पत्र मय शपथ-पत्र, दस्तावेजात एवं शहादत वादी पी0डब्ल्यू0-1 के तस्दीक सुदा शपथ-पत्रादि का गहनता से अध्ययन कर बहस वकील वादी पर गौर कर मनन किया गया। वस्तुतः माफिक राजस्व रिकॉर्ड वादी अपने हिस्से की खातेदार काश्तकार दर्ज हैं, लिहाजा माफिक राजस्व रिकॉर्ड प्राथमिक डिक्री जारी किये जाने तथा बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस उक्त विवादित भूमि में वादी की भूमि का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस बंटवाड़ा करवाया जाना उचित समझते हुए माफिक राजस्व रिकॉर्ड प्राथमिक डिक्री बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की सादिर की गई कि सरहद मौजा- भीवगढ़, पटवार हल्का-रास-द्वितीय, तहसील-जैतारण में स्थित वादी एवं प्रतिवादीगण की खातेदारी व कब्जा काश्त की जमीन खसरा नम्बर 2123/1 रकबा 4-10 बीघा किरम सेवज अब्बल भूमि का जो राजस्व रेकॉर्ड में वादी एवं प्रतिवादीगण की सामलाती व कब्जे काश्त की हैं, बंटवाड़ा बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस करवाया जाकर खाता व लगान अलग-अलग दर्शाकर पत्थरगढ़ी /नेखामबन्दी करवाकर बंटवाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा बनाया जाने हेतु एवं बंटवाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा प्रस्तुत करने हेतु तहसीलदार, जैतारण को अधिकृत किया जाकर पत्रांक/कोर्ट/2015/264 दिनांक 15/04/2015 द्वारा आदेशित किया गया। तहसीलदार, जैतारण ने अपने पत्रांक /भू0अ0/15/3879 दिनांक 04/06/2015 द्वारा प्राथमिक डिक्री की पालना अर्थात् बंटवाड़ा रिपोर्ट /विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा सहित प्रस्तुत की, सा0मि0 की गई।

बहस वकील वादी सुनी गई। बहस के दौरान वकील वादीगण ने माफिक बंटवाड़ा रिपोर्ट विभाजन प्रस्ताव वादीगण का वाद डिक्री किया जाकर बंटवाड़ा किये जाने की ईशतदुआ की हैं। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया, बहस वकील वादी एवं पालना रिपोर्ट पर गौर किया। लिहाजा माफिक बंटवाड़ा रिपोर्ट /विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा दिनांक 21/05/2015 वादीगण का वाद डिक्री किया जाकर बंटवाड़ा किया जाना उचित समझते हैं।



--: आदेश :-

अतः माफिक बंटवाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा अंतिम डिक्री बहक वादीगण विरुद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती हैं कि सरहद मौजा- भीवगढ़, पटवार हल्का-रास-द्वितीय, तहसील-जैतारण में स्थित खसरा नम्बर 2123/1 रकबा 4-10 बीघा किरम सेवज अब्बल की भूमि का बंटवाड़ा अर्थात् विभाजन निम्नांकित रूप से किया जाता है :-

क्र. सं.	नाम खातेदारान मय वल्लियत व सकूनत	खसरा नम्बर	रकबा बीघा बिस्वा बिस्वांसी	किरम	लगान
1	नेनू पुत्र सुबानसिंह हिस्सा 8/53 सुल्तान पुत्र करणा हिस्सा 45/53 कौम-मेहरात सा0 ढाणी भीवगढ़ खातेदार।	2123/2	2-13-00	से0अ0	2.63 रु.
2	श्री सीमेन्ट लि0 (रास प्रोजेक्ट) जरिए महावीर चौपड़ा महाप्रबंधक (कार्मिक व प्रशासन) पुत्र जवाहरलाल चौपड़ा, निवास - हाल-महाप्रबंधक श्रीसीमेन्ट लि0 (रास प्रोजेक्ट) मौजा-बांगड नगर अब्धेरी देवरी, तह.-मसूदा जिला-अजमेर खातेदार।	2123/1	1-17-00	से0अ0	1.97 रु.


तदनुसार राजस्व रेकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे। बंटवाड़ा रिपोर्ट /विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा निर्णय का एक भाग माना जावे। वादीगण के कब्जे


9/12/15
न्यायाधीश
देवारण (पाकी)

काश्त में दखलबन्दाजी करने से प्रतिवादीगण को जरिए रथाई निषेधाज्ञा रोका जाता हैं।
अन्तिम डिक्री पर्चा बनाया जाकर पत्रावलीबद्ध किया जावें। तहसीलदार जैतारण को डिक्री
पर्चा मय बंटवाड़ा रिपोर्ट दिनांक 21/05/2015 की प्रति भेजकर पालना गंगवाई जावें।
पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफतर
में भण्डार जमा हो।



निर्णय आज दिनांक 03/07/2015 को राजस्व लोक अदालत अटल सेवा
घर में सुनाया गया।


उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
जिला.पाली (राज0)


उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
जिला.पाली (राज0)

डिक्री बगुनकदमें इब्तादाई

(ओ 21 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत :- उपखण्ड अधिकारी, मुकाम:- जैतारण
 बईजलास :- श्री घनश्याम शर्मा, आर0ए0एस0

वादी :-	बनाम	प्रतिवादीगण :-
श्री सीमेन्ट लि0 (रास प्रोजेक्ट)		1. नेनू पुत्र सुवान
जरिए महावीर चौपड़ा महाप्रबंधक (कार्मिक व प्रशासन) पुत्र		2. सुल्तान पुत्र करणा जातियान-मेहरात, निवासीगण-भीवगढ़ (रास)
जवाहरलाल चौपड़ा आयु-60 वर्ष		तहसील-जैतारण (जिला-पाली)
निवास हाल-महाप्रबंधक श्रीसीमेन्ट लि0 (रास प्रोजेक्ट) मौजा-बांगड नगर		3. तहसीलदार, जैतारण तहसील-जैतारण (जिला-पाली)
अब्देरी देवरी, तह.-मसूदा जिला-अजमेर		
<u>राजस्व वाद बाबत तकासमा आराजी एवं</u>	मु0न0	:रा0वा0 स0:41/2014
<u>स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53 एवं 188</u>		
<u>राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955</u>		

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतई रुबरु-..... व हाजरी श्री चावण्डदान बारहठ, अधिवक्ता, वादी मिनजानिब मुद्धई व मिनजानिब मुद्धायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि माफिक बँटवाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा अंतिम डिक्री वहक वादीगण विरुद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती हैं कि सरहद मौजा-भीवगढ़, पटवार हल्का-रास-द्वितीय, तहसील-जैतारण में स्थित खसरा नम्बर 2123/1 रकवा 4-10 बीघा किरम सेवज अब्बल की भूमि का बँटवाड़ा अर्थात् विभाजन निम्नांकित रूप से किया जाता है :-

क्र. सं.	नाम खातेदारान मय वल्लियत व सकूनत	खसरा नम्बर	रकवा बीघा विस्वा विस्वांसी	किस्म	लगान
1	नेनू पुत्र सुवानसिंह हिस्सा 8/53 सुल्तान पुत्र करणा हिस्सा 45/53 कौम-मेहरात सा0 ढाणी भीवगढ़ खातेदार।	2123/2	2-13-00	से0अ0	2.63 रु.
2	श्री सीमेन्ट लि0 (रास प्रोजेक्ट) जरिए महावीर चौपड़ा महाप्रबंधक (कार्मिक व प्रशासन) पुत्र जवाहरलाल चौपड़ा, निवास - हाल-महाप्रबंधक श्रीसीमेन्ट लि0 (रास प्रोजेक्ट) मौजा-बांगड नगर अब्देरी देवरी, तह.-मसूदा जिला-अजमेर खातेदार।	2123/1	1-17-00	से0अ0	1.97 रु.

तदानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। बंटवाड़ा रिपोर्ट /विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा निर्णय का एक भाग माना जावें। वादीगण के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी करने से प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा रोका जाता हैं। तहसीलदार जैतारण को डिक्री पर्चा मय बंटवाड़ा रिपोर्ट दिनांक 21/05/2015 की प्रति भेजकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर /लेख्य भण्डार जमा हो।

नीज-.....मुबलिक.....-.....बाबत.....-.....खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर ...
 -.....फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक-.....को अदा करें ।
 बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख 03/07/2015 को जारी





 उपखण्ड अधिकारी जैतारण
 (जिला-पाली)

मुख्यई	रुपये	पैसे	गुड्यायलाह	रुपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	२=००		स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा	१=००		स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत	-		महनताना वकील		
महनताना वकील	-		खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान	१=००		फीस कमीशनर		
फीस कमीशनर	-		बाबत ईजराय हुक्मनामा		
बाबत ईजराय हुक्मनामा	-		मुत्फरिक		
मिजान:-	४=००		मिजान:-	—Nil—	

नोट:- इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिक्री के जरिए
 दर्ज किया गया हो, नहीं दर्ज किया जावे ।




 न्यायाधीश
 रीतापल (बानी)